मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 171-72
भोपाल, दिनांक 27/01/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/866/2019

आवेदक
मेसर्स उजास एनर्जी लिमिटेड,
701, एन.आर.के. बिजनेस पार्क,
विजय नगर स्कवायर,
इन्दौर – 452 010 (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकः–
एकज़ीक्यूटिव इंजीनियर,
विद्युत विभाग,
विद्युत भवन, 66/1 केवी,
सोमनाथ–कच्छीगाम रोड़, कच्छीगाम,
दमन – 396210

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020
माध्यस्थम आदेश दिनांक 27/1/.2020

आवेदक ने दिनांक 25.06.2018 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदक के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 1,89,16,100/– एवं इस राशि पर दिनांक 30.06.2018 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 74,75,554/– तथा विलंब से प्राप्त भुगतान पर दिनांक 31.01.2017 तक की ब्याज राशि रू. 20,21,941/– कुल बकाया राशि रू. 2,84,13,595/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

(1) अनावेदक द्वारा टेंडर आईडी नं. 175619 दिनांक 05.05.2015, टेंडर नोटिस नं. 02 वर्ष 2015–16 में 6 मेगावॉट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगाने एवं 5 वर्ष ऑपरेशन एण्ड मेन्टेंनेन्स के साथ उजास एनर्जी लिमिटेड म.प्र. को मूल्य रूपये 36,98,00,000/– (रूपये छत्तीस करोड़ अन्ठ्यानवें लाख) में लेटर ऑफ इन्टेन्ट नं. ED/EE/COMM./2015-16/5271 date 16/11/2015 के द्वारा जारी किया गया।

(2) अनावेदक द्वारा 6 मेगावॉट सोलर प्लांट लगाने के लिए डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एवं सिविल कार्य के साथ में 6 माह के कार्यकाल में पूर्ण करने एवं इसके साथ में 5 वर्ष का ऑपरेशन एण्ड मेन्टेंनेंस का कार्य भी सौंपा गया था, जिसे आवेदक द्वारा दिनांक 05.07.2016 को पूर्ण कर दिया गया एवं अनावेदक द्वारा प्रदत्त वर्क कम्पलीशन प्रमाण पत्र दिनांक 22.06.2017 के अनुसार अनावेदक द्वारा प्लांट दिनांक 06.07.2016 को स्टार्ट कर दिया गया। आवेदक द्वारा संपादित किये गये कार्यो के 19 देयक दिनांक 18.04.2014 से दिनांक 05.07.2016 तक कुल राशि रू. 35,92,12,581/– के भुगतान हेतु अनावेदक को प्रस्तुत किये गये।

(3) आवेदक द्वारा अनावेदक के प्रदाय आदेशानुसार सामग्री सप्लाई एवं निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया जिस हेतु वर्क कम्पलीशन प्रमाण पत्र दिनांक 22.06.2017 जारी किया गया है एवं अनावेदक द्वारा सी–फार्म भी आवेदक को प्रदान किये है। अनावेदक द्वारा प्रदत्त वर्क कम्पलीशन प्रमाण पत्र एवं सी–फार्म से आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री एवं किये गये सम्पूर्ण कार्य की स्वीकारोक्ति प्रमाणित होती है।

(4) आवेदक एवं अनावेदक के मध्य निष्पादित अनुबंध की मुख्य शर्ते निम्नानुसार है :–

As per Agreement Clause no. 1.4 Payment Schedule is detailed as below:

1) Stage 1: 10% against interest free bank guarantee of 100% of advance amount Bank Guarantee shall be returned to Ujaas Energy Ltd. only after successful handover of the project site to ED-DD.
2) Stage 2: 10% upon approval of single line diagram, detailed engineering of the site for solar PV project, land/elevation drawing and foundation drawng for equipment and related accessories, site preparation, drawingof modular control , submission of layout diagram etc.
3) Stage 3: 15% on completion of all the necessary foundation works, modular control room etc.
4) Stage 4: 30% on successful delivery of necessary equipment on the project site. Ujaas Energy may issue multiple invoices as and when equipments are received at site.
5) Stage 5: 20% on successful installation of the 6MWSolar PV project at Diu.
6) Stage 6: 10% after successful commissioning of 6MW Solar PV Project and commercial operation of the substation is started.
7) Stage 7: 5% of project cost after 1 month from handing over the site to ED-DD.

(5) अनावेदक विद्युत विभाग दमन एण्ड दीव द्वारा, संपूर्ण कार्य करने के बाद भी बिलों की बकाया राशि रू. 1,89,16,100/– का भुगतान पूर्णतः नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा भुगतान के संबंध में विभाग को अनेक पत्राचार एवं ईमेल द्वारा कई बार सूचित किया एवं स्थानीय प्रशासन और प्रधान मंत्री कार्यालय को भी बकाया राशि के भुगतान के लिए निवेदन किया गया।

(5) आवेदक द्वारा निर्मित 6 मेगावॉट सोलर प्लांट का पिछले 2 वर्ष का जनरेशन उसकी गारण्टेड जनरेशन से कहीं ज्यादा आया है, यह इसकी गुणवत्ता का प्रमाण है, जिसकी वजह से अनावेदक को अनुमानतः रू. एक करोड़ का लाभ अर्जित हुआ है। आवेदक द्वारा संपूर्ण कार्य अनावेदक द्वारा दी गई टाइम लाईन में करने, उत्कृष्ट रखरखाव और बेहतर जनरेशन के बावजूद अनावेदक ने आवेदक को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

(6) अनावेदक द्वारा देयक क्रमांक 6017000001, दिनांक 05.07.2016 के देयक की राशि रू. 3,02,97,650/– में से राशि रू. 1,00,00,000/– का भुगतान नियत समयावधि में नही करते हुए, 395 दिवस विंलंब से भुगतान किया गया है। अतः आवेदक अधिनियम अनुसार इस विलंब से प्राप्त भुगतान पर विलंबित अवधि का ब्याज अनावेदक से पाने का अधिकारी है।

अतः आवेदक द्वारा, अनावेदक पर बकाया राशि रू. 1,89,16,100/– एवं अधिनियम अनुसार इस पर दिनांक 30.06.2018 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 74,75,554/– तथा अनावेदक से विलंब से प्राप्त भुगतान पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि रू 20,21,941/– एवं इनके भुगतान दिनांक तक की ब्याज राशि का भुगतान अनावेदक से दिलाने हेतु आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

.....3

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 4049–4050 दिनांक 30.06.2018, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनावेदक द्वारा दिनांक 08.08.2018 को उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया कि :–

1. अनावेदक द्वारा 6 मेगावॉट सोलर प्लांट लगाने के लिए डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एवं सिविल कार्य के साथ में 6 माह के कार्यकाल में पूर्ण करने एवं इसके साथ में 5 वर्ष का ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेंस का कार्य आवेदक को सौंपा गया था, जिसकी कुल लागत रू. 35.92 करोड़ थी। टेन्डर डाक्यूमेंट एवं एग्रीमेंट की शर्तानुसार अनावेदक द्वारा आवेदक को 34.02 करोड़ लगभग 95 प्रतिशत राशि कस भुगतान किया जा चुका है।
2. आवेदक द्वारा टेन्डर डाक्यूमेंट एवं एग्रीमेंट के अनुरूप कार्यपूर्ण नही किये जाने से आवेदक की बकाया राशि रोक ली गई है, जिसका विवरण संलग्न है।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपूर्ण कार्यो के विवरण के सम्बन्ध में, आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 29.10.2018 से बिन्दुवार किये गये कार्यो का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें आवेदक ने कार्यो को पूर्ण किये जाने का उल्लेख करते हुए, पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये है।

काउन्सिल द्वारा प्रकरण दिनांक 16.01.2019 एवं दिनांक 08.12.2020 को सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया। सुनवाई दिनांकों को अनावेदक उपस्थित नही हुए। अनावेदक के अनुपस्थित रहने से दोनो पक्षों के मध्य सुलह की कार्यवाही नही हो सकी। आवेदक का प्रकरण प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2018 से काउन्सिल के समक्ष विचाराधीन है। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु काउन्सिल का विचारण रहा कि प्रकरण में अनावेदक द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है, किन्तु सूलह हेतु अनावेदक उपस्थित नही हो रहे है। अतः सुलह की कार्यवाही को समाप्त कर, आवेदक की सुनवाई उपरांत, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र सह अभिलेखों एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर सह अभिलेखों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार अनावेदक ने आवेदक को 95 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है, मात्र 5 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा कार्यपूर्ण नही करने के कारण भुगतान नही किये जाने का उल्लेख किया गया है।

आवेदक एवं अनावेदक के मध्य दिनांक 16.12.2015 को निष्पादित अनुबंध की कंडिका 1.4 में पेमेन्ट शेड्यूल निर्धारित किया गया है, जिसमें पेमेन्ट की 7 Stage नियत की गई है। अन्तिम 7) Stage7 में 5 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार शर्त अंकित है :–

7) Stage7: 5% of project cost after 1 month from handing over the site to ED-DD.

उपरोक्तानुसार प्रोजेक्ट कॉस्ट की 5 प्रतिशत राशि का भुगतान ED-DD को साईट सौपने से एक माह बाद किया जावेगा।

अनावेदक द्वारा कथित वर्क कम्पलीशन प्रमाण पत्र दिनांक 22.06.2017 वस्तुतः COD (Commercial operation declaration) है। अनुबंध की कंडिका 6 के अनुसार COD जारी होने तक 95 प्रतिशत भुगतान

.....4

आवेदक को किया जाना था। 95 प्रतिशत भुगतान किया जाना प्रमाणित तथा अविवादित है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक अनुसार 08.08.2018 अनुसार परिषद में स्टेज–7 का भुगतान (5%) रोके जाने का औचित्य बताते हुए केपिटल वर्क का विवरण मय फोटोग्राफ्स के प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा जवाबदावे उल्लेखित कार्य अपूर्णता के बारे में समाधान कारक प्रस्तुत नही किया गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन स्टेज–7 में उल्लेखित शर्त द्वारा न किये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन स्टेज–7 में उल्लेखित शर्तो द्वारा न किये जाने के कारण प्रमाणित नही होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।